न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 186/2022

1. बजरंग लाल पुत्र स्व. मांगेराम
2. बुद्धराम पुत्र स्व. मांगेराम
3. श्यामलाल पुत्र स्व. मांगेराम
   समस्त जाति माली निवासी हरलाल का कुआं के पास लुहारू रोड तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज0।

– वादी

बनाम

1. शिवचन्द पुत्र स्व. मांगेराम
2. ताराचन्द पुत्र स्व. मांगेराम
3. महेश कुमार पुत्र स्व. मांगेराम
   समस्त जाति माली निवासी हरलाल का कुआं के पास लुहारू रोड तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज0।
4. दीपिका शर्मा पत्नी राजेश कुमार जाति ब्राहमण, निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. युको बैंक, शाखा पिलानी जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक –18.03.2024

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि भूमि खसरा नम्बर 17 व 18 स्थित राजस्व ग्राम धींधवा आथुना में वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के द्वारा मौके पर विभाजन कर अपना–अपना हिस्सा अलग कायम कर रखा है। जिसको वाद पत्र के नजरी नक्शे में अलग–अलग रंग से दर्शित किया गया है। जिसमं से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से दक्षिणी पश्चिमी कोने की 0.11 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय की हुई है। नजरी नक्शे

में दर्शित कब्जे व काश्त के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से की भूमि की कब्जा काश्त के अनुसार घोषणा फरमाई जावे।

(ख) यह कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 17 व 18 जिसका वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नजरी नक्शे के अनुसार विभाजन की डिकि परित की जावे एवं प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के साथा कायम किया जाकर उसका हिस्सा भी अलग से दर्शित किया जावे। इस आश्य की प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सूरजगढ को मौके की विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर अंतिम डिक्री पारित की जावे तथा लगान भी अलग-अलग कायम किया जावे।

(गा) यह कि प्रतिवादी संख्या 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि खसरा नं. 17 व 18 के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा नहीं करें भूमि को वेस्ट डेमेज नहीं करें। भूमि के किसी भी भाग का विक्रय व हस्तान्तरण नहीं करें। वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे व काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें ना ही अपने परिवार के सदस्य अथवा दिगर व्यक्ति से करवायें।

(ग) यह कि अन्य कोई सिद्दि चाहे जाने से रह गई हो मुफीद वादी हो वादी के हक में दिये जाने के आदेश देने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। वकील वादी की तरफ से राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित आये तथा प्रस्तुत राजीनामें पर सहमति बाबत हस्ताक्षर किये गए। वादी वकील ने राजीनामें के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074-77, नक्शा ट्रेस एवं राजीनामा।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ने मुताबिक राजीनाम के दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

राजस्व वाद संख्याः– 186 / 2022
बजरंग लाल बनाम शिवचन्द वगै0
निर्णय दिनांकः– 18.03.2024

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः खसरा नम्बर 17 रकबा 2.05 है0 व खसरा नम्बर 18 रकबा 2.41 है0 स्थित राजस्व ग्राम धींधवा आथूना तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान में वकील वादी से प्राप्त राजीनामा दिनांक 18.03.2024 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को मुताबिक राजीनामा विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 186 / 2022

निर्णय दिनांक :– 18-03-2024

बजरंग लाल बनाम शिवचन्द वगै0

दावा बाबत घोषणा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री संदीप मान एड0** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 18.03.2024 को **दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः खसरा नम्बर 17 रकबा 2.05 है0 व खसरा नम्बर 18 रकबा 2.41 है0 स्थित राजस्व ग्राम धींधवा आथूना तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान में वकील वादी से प्राप्त राजीनामा दिनांक 18.03.2024 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को मुताबिक राजीनामा विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **18.03.2024** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़